

साफ्टा की भूमिका : पूर्वोत्तर भारत के विशेष संदर्भ में



जीवराज सिंह चारण

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग

आर.आर.बी.एम.यू. विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

शोध सारांश

21वीं सदी के इस आर्थिक युग में, वर्ल्ड पोलिटिकल आर्डर में क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के आधार पर एकीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह प्रवृत्ति ईयू सार्क आसियान क्षेत्रों में ही नहीं अपितु अफ्रीका व दक्षिण अमेरिकी देशों द्वारा भी अपने आर्थिक संबंधों में क्षेत्रीय संगठनों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। अतः वर्तमान आर्थिक राजनीति के इस माहौल में भारत को सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों में अपने आर्थिक विकास व क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाश रहा है। और विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकास में साफ्टा जैसे समझौता व सार्क आसियान के वाणिज्य आर्थिक समझौतों के रूप में पूर्वोत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करने की संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। इससे पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास के साथ भारत सार्क व आसियान देशों के बीच में एक मजबूत कड़ी जो कि क्षेत्रीय आर्थिक संबंधों में वैश्विक महाशक्तियों के हितों की बजाय क्षेत्रीय छोटे-छोटे पड़ोसी देशों के हितों को ध्यान में रखकर अपनी व्यापारिक नीति तय कर रहा है। अतः साफ्टा द्वारा दक्षिणी एशिया व भारत के पूर्वोत्तर भाग के आर्थिक वाणिज्यिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है।

संकेताक्षर—अंतरराष्ट्रीय राजनीति, पूर्वोत्तर भारत, क्षेत्रीय एकीकरण, वाणिज्यिक विकास, टैरिफ, कपड़ा उद्योग

प्रस्तावना

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय एकीकरण की प्रवृत्ति बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में तेजी से बढ़ी जो 21वीं सदी में भी अनवरत रूप से जारी है। दक्षिण एशिया के देशों ने भी यूरোपियन यूनियन व आसियान जैसे संगठनों से प्रेरणा लेकर क्षेत्रीय एकीकरण के लिए सार्क नामक संगठन की स्थापना की। सार्क की स्थापना सन 1985 में ढाका में की गई। सार्क संगठन के तहत आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क सदस्यों ने सन 1993 में दक्षिणी एशिया वरीयता व्यापार समझौता किया। 2004 में इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क सम्मेलन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता संपन्न किया गया। इस मुक्त व्यापार समझौते को संपूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि लाने के महत्वपूर्ण साधन के तौर पर देखा गया। दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत इस क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका

निभाता है। भारत एवं दक्षिण एशियाई देशों के बीच संबंधों को साफ्टा ने गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इस अध्याय में भारत के सार्क देशों से संबंध को साफ्टा की पृष्ठभूमि में पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास के विशेष संदर्भ में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इसमें दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते के अब तक के प्रदर्शन के साथ ही इस क्षेत्र के आर्थिक रूपांतरण में इस समझौते की संभावित भूमिका का भी अनुमान एवं मूल्यांकन किया गया है। साथ ही संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा के संदर्भ में विशेष सुझाव भी दिए गए हैं।

भारत एवं सार्क संबंध : एक ऐतिहासिक विवरण

दक्षिण एशिया क्षेत्र एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें सामान्यतः भारत के साथ ही

पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव को शामिल किया जाता है। इन देशों में भारत सर्वाधिक जनसंख्या एवं सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है तथा इसकी सीमा लगभग सभी दक्षिणी से देशों को छूती है। इसके साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक लिहाज से भी भारत इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश है। अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण संपूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्र की भारत केंद्रित प्रकृति है। इस तथ्य ने भारत के इन देशों के साथ संबंधों को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। जहां एक तरफ अपनी केंद्रीय भूमिका के कारण भारत इन देशों के विकास में सहयोग कर प्रभावी आपसी संबंधों को बढ़ावा दे पाया है वहीं अन्य कुछ देशों में भारत की इस भूमिका की वजह से संदेह भी पैदा हुआ है। दक्षिण एशिया के एक अन्य बड़े देश पाकिस्तान के साथ भारत का लगातार विवाद रहा है। भारत पाकिस्तान के इस विवाद ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रभावी सहयोग की प्रभाविकता को काफी हद तक कम किया है।

दक्षिण एशिया क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 1985 में सात दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा सार्क चार्टर पर साइन किए गए। यह साथ देश थे—बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। अफगानिस्तान 2007 में सार्क का सदस्य बना। सार्क में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीकी आर्थिक व व्यापारिक सहयोग सांस्कृतिक व शैक्षिक मुद्दे वह लोगों का आपसी संपर्क आदि शामिल है परंतु वास्तव में इसका कार्यकरण काफी सीमित रहा है। बीसवीं सदी के अंत में बना यह संगठन 21वीं सदी में भी एक प्रभावी संगठन बन पाने में सफल नहीं हो पाया है।

वी.पी. सिंह सरकार में तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने पड़ोसी देशों के प्रति एक नई नीति अपनाई। इंद्र कुमार गुजराल का मानना था कि दक्षिण एशिया में सबसे प्रमुख देश होने के नाते भारत को अन्य छोटे देशों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और सहयोग एवं समझौते के द्वारा इन देशों के साथ मधुर संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में गैर-पारस्परिकता की नीति के तहत इन देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने का निश्चय किया। गुजराल सिद्धांत को 1996-98 के दौरान गुजराल के प्रधानमंत्रीत्व काल में भारतीय विदेश नीति में और अधिक समाहित किया गया। बांग्लादेश के साथ जल बटवारा संधि की गई वह सीमा विवाद समझौतों पर वार्ता को आगे बढ़ाया गया। नेपाल द्वारा असमान समझौतों

का प्रतीक माने जाने वाली 1950 की भारत-नेपाल संधि पर पुनर्विचार के लिए भी भारत राजी हुआ।

1990 के दशक के बाद भारत की तेज आर्थिक विकास दर ने इसे इस क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक शक्ति बना दिया। 21वीं सदी में भारत की आर्थिक प्रोफाइल महत्वपूर्ण रूप से सुधरी है तथा इसने अधिक क्षेत्रीय एकीकरण प्रयासों की नई उम्मीद पैदा की है।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)

साफ्टा की एक कस्टम यूनियन, एक समान बाजार एवं अंततः एक आर्थिक संघ के रूप में परिकल्पना की गई। दिसंबर 1995 में मंत्री स्तरीय बैठक में इस समझौते पर शुरुआती वार्ताएं की गईं। जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन में साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह जुलाई 2006 से लागू किया गया। इस समझौते के बावजूद अब तक इन देशों के बीच अंतर्देशीय व्यापार काफी कम रहा है। 2010 की एक विश्व बैंक रिपोर्ट ने क्षेत्र में विभिन्न देशों के आपसी संघर्षों को क्षेत्र में कम आर्थिक सहयोग के मुख्य कारण के रूप में चिह्नित किया। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया का क्षेत्र विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से है। इस समझौते के तहत भारत व पाकिस्तान को टैरिफ उदारीकरण प्रक्रिया के तहत 2006 से 5 वर्षों के अंदर अपनी दरों को शून्य से 5 प्रतिशत के बीच में लाना था। श्रीलंका के लिए समय सीमा 6 वर्ष रखी गई तथा अन्य कम विकसित देशों को इसके लिए 10 वर्षों का समय दिया गया। वर्ष 2016 को पूर्ण व्यापार उदारीकरण के लिए लक्षित वर्ष घोषित किया गया। टैरिफ उदारीकरण प्रक्रिया प्रत्येक देश द्वारा बनाई गई नकारात्मक सूची में उल्लेखित मदों पर लागू नहीं होनी थी। विभिन्न देशों के बीच आपसी संदेह व प्रतियोगिता की वजह से सभी देशों ने भारी-भरकम नकारात्मक सूचियां तैयार कर लीं। कुछ देशों में यह आंकड़ा कुल व्यापार के 50% से भी अधिक था। इसने टैरिफ उदारीकरण प्रक्रिया के महत्व को कम कर दिया। अतिरिक्त रूप से साफ्टा गैर प्रशुल्कीय बाधाओं को हटाने व सेवाओं में व्यापार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख नहीं करता। इस क्षेत्र में व्यापार में भारत की प्रभावी भूमिका के कारण साफ्टा की प्रगति व उदारीकरण कार्यक्रम में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रक्रिया में इस्लामाबाद के सम्मिलित होने की इच्छा भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के बीच द्विपक्षीय

मुक्त व्यापार समझौतों ने भी साफ्टा भूमिका को कम किया है जैसा कि भारत एवं श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौते से समझा जा सकता है।

भारत एवं सार्क संबंध : साफ्टा के विशेष संदर्भ में

इस क्षेत्र में व्यापार में भारत की प्रभावी भूमिका के कारण साफ्टा की प्रगति व उदारीकरण कार्यक्रम में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ समय से दक्षिण एशियाई देशों के बीच में आपसी व्यापार बढ़ा है परंतु इसमें अस्थिरता का स्तर अत्यधिक ऊंचा रहा है। लगभग सभी देशों का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार असंतुलित रहा है जो इन क्षेत्रीय भागीदार देशों में असंतोष का कारण भी रहा है। सार्क देशों को भारत के नियत का अधिकांश हिस्सा प्राथमिक कृषि आधारित उत्पादों व सेवाओं का रहा है। इसमें निवेश संभावनाओं को पर्याप्त रूप से भुनाया नहीं गया है तथा संयुक्त उपक्रम, तकनीकी हस्तांतरण, आधारभूत ढांचे का विकास क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं, पर्यटन का विकास आदि आयामों पर अत्यंत कम बल दिया गया है।

साफ्टा समझौते के कार्यक्रम में अन्य विभिन्न बाधाएं भी रही है जैसे विभिन्न देशों की सीमित क्षमता खासकर छोटे दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की जिसकी वजह से निर्यात करने लायक अतिरिक्त उत्पादों का निर्माण नहीं होता। अत्यंत प्रतिबंध लगाने वाली व्यापार नीतियां व राजनीतिक समस्याओं ने भी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अंतर्देशीय व्यापार को सीमित किया है। 1993 में हुए व्यापार वरीयता समझौते के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे। इसे ध्यान में रखकर साफ्टा को अधिक व्यावहारिक कदमों के साथ एक सफल रणनीति के तौर पर देखा गया था परंतु कार्यक्रम के स्तर पर कमियों ने साफ्टा की संभावनाओं को सीमित कर दिया। दक्षिण एशिया के विभिन्न देश विष्व बाजार में एक समान उत्पादों के विक्रय की वजह से आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते हैं इसकी वजह से आर्थिक क्षेत्र में इन देशों के बीच प्रतिस्पर्धा व आपसी संदेह का वातावरण बना। भारत सरकार के विभिन्न प्रकाशनों व दी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित विभिन्न चर्चाओं में लगातार यह मुद्दा उठाया जाता है कि आपसी अविश्वास व प्रतिस्पर्धा के कारण क्षेत्र में ही उपलब्ध वस्तुओं का आयात दक्षिण एशियाई देश अन्य बाहरी देशों से करते हैं जबकि

यह देश आपस में व्यापार कर इन वस्तुओं को न केवल कम कीमत पर पा सकते हैं बल्कि परिवहन व अन्य लागत घटाकर भी फायदा उठा सकते हैं। इससे न केवल इन देशों को राजस्व की बचत होगी बल्कि कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता के कारण उत्पादन की लागत में कमी आएगी जिसका फायदा ये देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में उठा सकते हैं। इसके साथ ही बड़े हुए व्यापार की वजह से उत्पादन के स्तर बढ़ने व इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा उठाने से यह देश अपनी अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ा सकेंगे। भारत इस आयाम पर बल देकर लगातार दक्षिण एशियाई देशों को प्रोत्साहित करता रहा है।

भारत एवं सार्क संबंध : पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास के विशेष संदर्भ में

भारत ने दक्षिण एशियाई देशों को यह सुझाव भी दिया है कि विश्व बाजार में अपने उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा के बजाय सभी दक्षिण एशियाई देश संयुक्त कार्यक्रमों, औद्योगिक भागीदारी व संयुक्त औद्योगिक पुनः संरचना द्वारा कुछ विशिष्ट उत्पादों के संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा देकर व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से अत्यधिक फायदा उठा सकते हैं। संयुक्त उपक्रम व आपसी औद्योगिक भागीदारी के कुछ विशेष क्षेत्र चिह्नित किए जा सकते हैं यथा टेक्सटाइल वह कपड़ा उद्योग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री व ऑटोमोबाइल उद्योग आदि। भारत ने लगातार सार्क देशों के बीच में उच्च प्रशुल्क व विभिन्न गैर प्रशुल्कीय बाधाओं युक्त विभिन्न प्रतिबंधात्मक नीतियों व भेदभाव कारी नीतियों को दूर करने का भी सुझाव दिया है। इन नीतियों की वजह से इन देशों का व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। भारत की पूर्वोत्तर भाग आर्थिक रूप से देश के मुख्य भू-भाग से अलग थलग है, जिससे इसका आर्थिक विकास अपेक्षा अनुसार नहीं हो पाया है भारत सॉफ्टा और सार्क जैसे क्षेत्रीय आर्गेनाइजेशन से इस क्षेत्र को सीधा जोड़ने में पूरी कोशिश कर रहा है ताकि एनईआर की आर्थिक व वाणिज्यिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

विभिन्न सार्क देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंध दक्षिण एशिया क्षेत्र में अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ाने में अत्यधिक महत्व रखते हैं। परिवहन सुविधाओं का विकास, बॉर्डर पर आधारभूत संरचना का विकास आदि मुद्दों का भी प्रभावी समाधान जरूरी है। क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने

के कारण भारत छोटे देशों को आपसी व्यापार रियायतें भी प्रदान करता है। इन देशों से आयात बढ़ाकर भारत में व्यापार घाटे को भी कम करने का सक्रिय प्रयास किया है। विभिन्न मंचों पर कई वार्ताओं में यह भी सामने आया कि इन देशों में अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं, जटिल कागजी कार्यवाही, वित्तीय सुविधाओं की कमी, आधारभूत संरचना का अभाव व राष्ट्रीय नीतियों में अनिश्चितता की वजह से भी इन देशों के बीच व्यापार व निवेश में बाधाएं उपस्थित हुई हैं। सार्क देशों की निजी व सार्वजनिक शिपिंग कंपनियों में सुधार व संयुक्त शिपिंग परिषद की स्थापना कर शिपिंग सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है। तटीय क्षेत्रों पर बंदरगाह व शिपिंग सुविधाओं का विस्तार तथा अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत ने इन देशों के बीच अंतर्देशीय व्यापारिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का भी सुझाव दिया है जैसे सड़क परिवहन परियोजना, मल्टीमॉडल परिवहन व्यवस्था आदि। भारत ने विभिन्न तरह के व्यापार के लिए कागजी कार्यवाही व प्रक्रियाओं के मानक तय करने, सुसंगत नीति निर्माण करने तथा विभिन्न परियोजनाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव भी दिया है। भारत ने बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मल्टीमॉडल परिवहन समझौतों के माध्यम से हाल ही में बहुत अच्छा काम किया है जिसका प्रभाव भारत के पूर्वोत्तर भाग के आर्थिक विकास एवं व्यापारिक विकास तथा आधारभूत संसाधनों में देखा जा रहा है। साथ ही एन.ई.आर. के आधारभूत ढांचे का विकास भी हो रहा है तथा बांग्लादेश व म्यांमार के आधारभूत ढांचे के विकास में भारतीय सहयोग से इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती भी आ रही है। सार्क देशों को जल व ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में भी संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाओं के विकास पर बल देना चाहिए। भारत ने जल संसाधन संधि के लिए एक समान फ्रेमवर्क बनाने व संयुक्त परियोजनाओं की देखरेख के लिए संस्थागत तंत्र स्थापना का सुझाव दिया है। सार्क देश संयुक्त उपक्रम व तकनीकी हस्तांतरण के द्वारा विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का आधुनिकीकरण कर सकते हैं। इससे कई देशों में बीमा औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवन प्रदान करने में सहायता मिलेगी। छोटे भाई सूक्ष्म उद्योगों के आधुनिकीकरण व तकनीकी सुधार द्वारा रोजगार सृजन कर सभी देश विकास की राह में आगे बढ़ सकते हैं।

यहां इस तथ्य पर भी महत्व देना आवश्यक है कि किसी भी तरह के क्षेत्रीय आर्थिक समझौते में बड़े पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग में छोटे देश हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था पर बड़े देशों का प्रभाव बन जाने की आशंका से ग्रस्त रहते हैं। भारत सार्क क्षेत्र का भौगोलिक व आर्थिक रूप से लगभग 70% हिस्सा कवर करता है। केवल भारत की सीमाएं दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों के साथ मिलती हैं। सार्क देशों में सबसे बड़ा एवं सबसे औद्योगिकीकृत व्यापारिक भागीदार होने के नाते भारत को अपनी विशेष भूमिका निभानी होगी ताकि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को एक वास्तविकता बनाया जा सके।

निष्कर्ष

सार्क देशों के बीच नजदीकी आर्थिक संबंधों के द्वारा अधिक आर्थिक एकीकरण कर संयुक्त समृद्धि को बढ़ावा देने की अत्यधिक संभावना मौजूद है। 2004 में हुआ साफ्टा समझौता इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत को क्षेत्र जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तथा भारतीय मुख्य अर्थव्यवस्था से एक क्वॉरेंटाइन क्षेत्र भी है, साफ्टा के क्रियान्वयन में इस क्षेत्र के आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकास की बहुत सारी संभावनाएं निहित हैं। समय आ गया है कि सार्क के सदस्य देश क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाकर तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक साथ आए। इसके लिए इन देशों की इच्छाशक्ति व निर्णायक नेतृत्व इन देशों को विकास के पथ पर साथ लाने व पारस्परिक प्रगति के सहभागी बनने में महत्वपूर्ण है। क्षेत्र का सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत की अग्रणी व सक्रिय भूमिका एक समृद्ध दक्षिण एशिया क्षेत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण है। भारत को सभी छोटे सार्क देशों की आशंकाओं का निर्धारण कर दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय विकास में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी होगी। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सफल क्रियान्वयन क्षेत्र में आपसी सहभागिता से तीव्र आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बराल, लोकराज, ट्रांजिट पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 1989, पृ.सं. 15-19

2. दहल, देवराज एवं पांडे निश्चल, एन., न्यू लाइफ विदन सार्क, 2005, पृ.सं. 29-30
3. हसैन-ए-अनवर, एकनफिलक्ट इन एशिया, क्लासिकल पब्लिकेशंस नई दिल्ली, 2002 पृ.सं. 154-155
4. हेसैन, यासिर, साफ्टा, पोटेंशियल एंड चौलेंजेज, 2009, पृ.सं. 54-63
5. मोहम्मद, शोएब, दक्षिण एशिया में सुरक्षा समुदाय, लंदन, राऊटलेज, 2012
6. रेहान, सलीम, साफ्टा एंड साउथ एशियन कंट्रीज क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल इंप्लीकेशंस, 2012, पृ.सं. 13-14
7. सार्क सचिवालय, एग्रीमेंट इन साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया (अमेंडमेंट सहित), 2012
8. साँफ्टा प्रोटोकॉल, नई दिल्ली में आयोजित शीर्ष बैठक, 2007
9. सार्क की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सार्क-एसईसी डॉट ओआरजी
10. मिश्रा, राजेश, भारतीय विदेश नीति, ओरियंट ब्लैकस्वान, 2007, पृ.सं. 330-339